

09.06.2022:—आज यह पत्रावली प्रार्थी वकील के निवेदन पर पेशी में ली गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के आगामी कार्यवाही नहीं चाहता व न्ये प्रार्थना-पत्र की प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ विद्वा करना चाहता है। इस कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज जावे। प्रार्थी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा की गई। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र मौजूदा सूत्र में ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

★
सहायक कलावदर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़